राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः NHM/RCH/JSY/DBT/2015/170 दिनांकः 14/08/2015

संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर
जिला कलक्टर, समस्त जिले
संयुक्त निदेशक (समस्त संभाग)
समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
समस्त जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी
समस्त जिला कार्यक्रम प्रबंधक

विषयः–OJAS ऑनलाईन भुगतान दिनांक 12.08.2015 तक समीक्षा बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि 1 अगस्त, 2015 से सीएचसी एवं उच्चतर संस्थानों पर OJAS सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाईन भुगतान किया जा रहा है इसमें आप सभी का सक्रिय योगदान दिया जा रहा है। परन्तु अभी तक किये गये भुगतान की समीक्षा के बाद निम्न बिन्दुओं पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है:–

- एएनसी के दौरान संभावित गर्भवती महिला के बैंक खातों का इन्द्राज प्राप्त करके दर्ज नही किया जा रहा है जबकि यह पाया गया है कि लगभग सभी लाभार्थियों के बैंक खाते उनके पास उपलब्ध है।
- प्रत्येक आगामी माह में होने वाले प्रसूताओं की ईडीडी के अनुसार सूची का प्रिन्ट आउट लेकर आशा/एएनएम के माध्यम से प्राप्त कर पीसीटीएस में एएनसी के दौरान ही शत् प्रतिशत बैंक खातों का इन्द्राज सुनिश्चित किया जावे।
- आपके स्तर से प्रत्येक सोमवार संभावित प्रसव वाली महिलाओं के बैंक खाते संबंधी समीक्षा पीसीटीएस के माध्यम से प्रत्येक पीएचसी/सीएचसी क्षेत्र के अनुसार की जावे।
- OJAS सॉफ्टवेयर में फॉर्म J-1, J-2 एवं J-3 में प्रविष्टियों के समय त्रुटियां की जा रही है जिसके कारण लाभार्थी को पूरा लाभ नही मिलना अथवा ऑनलाईन भुगतान नही होने की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ऐसे केन्द्रो पर डीएनओ के माध्यम से पुनः आमुखीकरण करवाया जावे।
- लाभार्थियों के भामाशाह पहचान संख्या का इन्द्राज भी पीसीटीएस में किया जाना सुनिश्चित करावे ताकि भुगतान भामाशाह प्लेटफॉर्म से जोड़ा जा सके।
- प्रायः यह देखा गया है कि अन्तर जिला प्रसवों में चिकित्सा संस्थान व जिला स्तर पर आवश्यक सूचनाओं का अन्य जिले द्वारा पूछने पर जानकारी नही दी जाती है यह उचित नही है। अतः पूर्णतः सहयोगात्मक तरीके से योजना का संचालन किया जाये।
- अभी तक प्राप्त सूचना के अनुसार 60–70 प्रतिशत ही भुगतान ऑनलाईन हो रहा है। राज्य के 113 चिकित्सा संस्थानों ने किन्ही कारणों से अभी तक एक भी ऑनलाईन भुगतान नही किया है। अपने स्तर से समीक्षा कर आवश्यक समाधान करते हुए भुगतान हर हाल में ऑनलाईन ही किया जावे।
- फॉर्म J-1, J-2 एवं J-3 में प्रविष्टियां लिपिक, लेखाकर्मी, कम्प्यूटर ऑपरेटर आदि में से किसी के द्वारा भी बड़ी आसानी से की जा सकती है। अतः उपलब्ध कार्मिक को आवश्यक प्रशिक्षण दिलाते हुए पाबन्द किया जावे।
- लाभार्थियों को प्रसव हेतु लाने एवं पुनः घर छोडने हेतु 104/बैस एम्बूलेन्स/108 आदि का ही उपयोग किया जावे।

- ऐसे बड़े संस्थान जहां 104 वाहन उपलब्ध नही है एवं प्रसव भार अधिक है वहां निजी अधिकृत एम्बूलेन्स का उपयोग जेएसएसवाई परिवहन हेतु निर्धारित दरों पर लेकर किया जा सकता है।
- जिले में VHSC के अनटाईड फण्ड से प्रति गांव 10 मुख्य स्थानों पर नज़दीकी 104 वाहन के मोबाइल नम्बर आगामी 15 दिवस में (इस प्रारूप में) अवश्य लिखवाये।
(प्रसव हेतु नजदीकी 104 वाहन सुविधा प्राप्त करने के लिए इस नम्बर .... पर सम्पर्क करे।)
- प्रत्येक चिकित्सा संस्थान में मुख्य स्थानों पर 5–8 ए–4 साईज पेपर पर यह सूचना अवश्य लगावे। यह आपको पूर्व में भी दिया गया है ताकि लाभार्थियों के माध्यम से अधिक से अधिक लोगों को जानकारी उपलब्ध हो सके।
- घूमन्तु जाति एवं बैंक से Rejected भुगतानों को तुरन्त A/c Payee चैक के माध्यम से लाभार्थी को भुगतान किया जाना था परन्तु इसके लिए भी राज्य स्तर पर बार–बार निर्देश मांगे जा रहे है।
- कुछ लाभार्थियों के बैंक खाता नही होने पर बैंक खाता नजदीकी बैंक शाखा में खुलवाने हेतु संलग्न प्रपत्र चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाणित करते हुए बैंक खाता खुलवाया जा सकता है।
- नज़दीकी बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखाओं में कोई भी बैंक खाता खुलवाने संबंधी समस्या आती है तो श्री ओ.पी. त्रिपाठी, मुख्य प्रबंधक, उद्योग भवन, जयपुर मोबाइल नम्बर 8094018311 पर सम्पर्क कर सहयोग लिया जा सकता है। यह सम्पर्क नम्बर सभी चिकित्सा संस्थानों पर उपलब्ध करावे।
- चूंकि राज्य के 12 जिले बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, अजमेर, भीलवाड़ा, बून्दी, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, चूरू एवं झुन्झुनू में बैंक ऑफ बड़ौदा लीड बैंकर है। अतः किसी भी बैंक शाखा में आने वाली समस्या के लिए उपरोक्त नम्बर पर बात कर सहयोग लिया जा सकता है।

आपको पुनः निर्देश दिये जाते है कि इस कार्यक्रम में अपनी पूर्ण गंभीरता एवं जिम्मेदारी से कार्य करे एवं इस कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी दिशा निर्देश क्रमांक 158 दिनांक 21.07.2015 एवं 169 दिनांक 31.07.2015 में विस्तृत निर्देशों की पालना सुनिश्चित करावे।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार (दो प्रपत्र)

विशिष्ट शासन सचिव
चिकि. स्वा. एवं प.क.
एवं मिशन निदेशक (एनएचएम)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक–आरसीएच।
3. परियोजना निदेशक– एमएच।
4. डेमोग्राफर एवं मूल्यांकन अधिकारी, मुख्यालय।
5. अतिरिक्त राज्य सूचना अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, शासन सचिवालय, जयपुर।
6. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी प्रभारी जिला/उपजिला/सैटेलाइट अस्पताल, समस्त जिले।
7. जिला लेखा प्रबंधक, समस्त जिले।
8. खण्ड मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी, समस्त जिले।
9. चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, समस्त जिले।
10. सलाहकार, आई.टी. को पालनार्थ हेतु।
11. सर्वर रूम।
12. रक्षित पत्रावली।

निदेशक, आरसीएच

/

(जेएसवाई शुभलक्ष्मी लाभ हेतु बैंक खाते के लिए पहचान पत्र)

.... (चिकित्सा संस्थान का नाम)

.... (शहर/कस्बे का नाम)

(जिला..)

पहचान हेतु नवीनतम फोटो

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती.. पत्नि श्री .... [illegible]ी (वर्तमान पता) .... हमारे स्वास्थ्य केन्द्र से प्रसव सेवायें प्राप्त [illegible]ही है। "जननी सुरक्षा योजना/शुभलक्ष्मी योजना" के अन्तर्गत लाभार्थी होने के लिए इनका बचत [illegible] आपकी शाखा में खोलने का श्रम करे।

इस प्रमाण पत्र में इनकी पहचान हेतु फोटो, हस्ताक्षर एवं निवास स्थान को प्रमाणित किया जा रहा हैं।

हस्ताक्षर (चिकित्सा अधिकारी)	दिनांक:	हस्ताक्षर (लाभार्थी)

(यह पहचान पत्र जननी सुरक्षा योजना एवं शुभलक्ष्मी योजना का लाभ लेने हेतु ही मान्य होगा।)

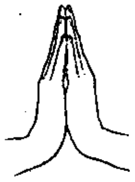

अति आवश्यक सूचना

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग आपकी सेवा में हमेशा तत्पर है। प्रत्येक लाभार्थी से निवेदन है कि **1 अगस्त, 2015 से जेएसवाई, शुभलक्ष्मी योजना की प्रोत्साहन राशि का लाभ सीधा बैंक खाते में ही हस्तान्तरित किया जावेगा** ताकि भुगतान में पारदर्शिता रहेगी। अतः संस्थागत प्रसव के लिए सीएचसी एवं अन्य उच्च **चिकित्सा संस्थान में आते समय प्रसूता के बैंक खाते की संख्या एवं पहचान हेतु कोई दस्तावेज साथ लाना नहीं भूलें।** यह आपकी सुविधा के लिए है।

कृपया अपना पूर्ण सहयोग देवे।

आज्ञा से
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं
परिवार कल्याण विभाग
राजस्थान